

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....
 जिला-खगड़िया.....सा०.....,सन्.....
 केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 111 / 2017

आदेश की प्रतियाँ और तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
3.

26.09.2017

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया (गंगौर) थाना में दर्ज कांड संख्या-712/2016 दिनांक 22.12.2016 में जप्त किये गए देशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4636/सी०आर० दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया (गंगौर) का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई देशी शराब की कुल मात्रा 1000 एम०एल० का 04 (चार) बोतल देशी शराब से 1000 एम०एल० का 01(एक) बोतल देशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को भेज दिया गया है, जबकि शेष 03 (तीन) बोतल देशी शराब खगड़िया (गंगौर) थाने के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई 03 (तीन)-बोतल कुल-03 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया (गंगौर) थाना कांड संख्या 712/2016 के आधार पर जप्त की गई कुल 03 (तीन) बोतल, कुल-03 लीटर देशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया

समाहर्ता, खगड़िया

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित

3

डी0 बी0 नं0.....357...../विधि, दिनांक.....3-10-17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/
थानाध्यक्ष, खगड़िया (गंगौर) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ
प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।